दिनांक 04.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.01.2025 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एटूजेड मार्ग पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दिनेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 09 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नई मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट लखनऊ विभिन्न थानों पर लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी रहीम नगर थाना ढिढौली थाना मडियांव, लखनऊ मूल निवासी सिद्धेश्वर मंदिर के पास थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–09 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03/04.01.2025 की रात्रि थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कसेरवा पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अरविन्द 2–राजेश घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द के विरूद्ध जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग व अभियुक्त राजेश के विरूद्ध जनपद शामली, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द निवासी बिराल थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–राजेश निवासी भविसा थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला

- **10 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना का अनावरण**
- **छिनैती के 124.40 ग्राम सोने का सिक्का, 3.30 किग्रा चॉदी की धातु**
- **45 हजार 700 रूपये नगद**
- **02 लैपटॉप, 02 बायोमैट्रिक फिंगर स्कैनर**
- **07 मोबाइल फोन**
- **06 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.01.2025 को थाना रामकोला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 10 अभियुक्तों 1—मो0 आसिफ 2—आदित्य 3—जाहिद 4—अनुज 5—मोहन 6—आरिफ 7—जय 8—कृष्णा 9—विपिन 10—राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से छिनैती के 124.40 ग्राम सोने का सिक्का, 3.30 किग्रा चॉदी की धातु, 45 हजार 700 रूपये नगद, 02 लैपटॉप, 02 बायोमैट्रिक फिंगर स्कैनर, 07 मोबाइल फोन, 06 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रामकोला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा छिनैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामकोला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने का सिक्का, चॉदी की धातु आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, कुशीनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के आधा दर्जन

अभियोग व अभियुक्त अनुज के विरूद्ध जनपद कुशीनगर, गोरखपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 आसिफ निवासी रेलवे कालोनी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

2–आदित्य निवासी ग्राम चकबंदी वार्ड नं0–16 थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

3–जाहिद निवासी पिपराबर सिवान छोटी मुगलटोली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

4–अनुज निवासी सुगर फैक्ट्री कालोनी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

5–मोहन निवासी चन्दरपुर बरवा टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

6–आरिफ निवासी रेलवे कालोनी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

7–जय निवासी झझवा टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

8–कृष्णा निवासी सतपोखरीया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

9–विपिन निवासी पिपरावर सिवान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

10–राजेश निवासी मुण्डेरवा बाजार थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–छिनैती के 124.40 ग्राम सोने का सिक्का, 3.30 किग्रा चॉदी की धातु।

2–45 हजार 700 रूपये नगद।

3–02 लैपटॉप, 02 बायोमैट्रिक फिंगर स्कैनर।

4–07 मोबाइल फोन।

5–06 मोटर साइकिल।

6–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना अचलगंज

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 12 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **05 हजार 500 रूपये नगद**
- **06 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 04.01.2025 को थाना अचलगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चपरी शाहपुर स्थित बन्द पड़े फैक्ट्री के पास से 06 अभियुक्तों 1–जितेन्द्र 2–आयुष 3–अभिषेक 4–सोनू 5–उमेश कुमार उर्फ लाली 6–सुशील कुमार उर्फ बड़कऊ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 12 किलोग्राम अवैध गांजा, 05 हजार 500 रूपये नगद, 06 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आयुष के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों पर हत्या, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी चकलवंशी थाना माखी जनपद उन्नाव।

2–आयुष निवासी ग्राम कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव।

3–अभिषेक निवासी शिवपुर कुर्मियान थाना अचलगंज जनपउ उन्नाव।

4–सोनू निवासी माखी मोहल्ला सराय थाना माखी जनपद उन्नाव।

5–उमेश कुमार उर्फ लाली निवासी जरगांव थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

6–सुशील कुमार उर्फ बड़कऊ निवासी ग्राम मझखोरिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 12 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–05 हजार 500 रूपये नगद।

3–06 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 04.01.2025 को थाना गौरीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सुल्तानपुर–रायबरेली रोड मिश्रौली बाईपास के पास से 04 अभियुक्तों 1–आयुष 2–सुनील कुमार 3–सोनू 4–शिवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आयुष निवासी तुलसीपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

2–सुनील कुमार निवासी ग्राम गोपालपुर थाना व जनपद अमेठी।

3–सोनू निवासी छोटा रामनाथपुर थाना व जनपद अमेठी।

4–शिवा निवासी ग्राम परसांवा थाना व जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी की 04 मोटर साइकिल।

एसटीएफः कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 03–01–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना सदर बाजार जनपद मेरठ क्षेत्र से कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का सदस्य राहुल कुमार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

राहुल कुमार पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम हेवा, थाना छपरौली, जनपद बागपत।

बरामदगीः–

1– 05 अदद भारतीय सेना के फर्जी एडमिट कार्ड की रंगीन छायाप्रति।

2– 01 अदद अग्निवीर अभ्यर्थियों की फर्जी चयनित लिस्ट

3– 02 अदद मोबाईल फोन

4– 01 वैगनार कार नं0 यूपी–17 वाई–4164

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः

दिनांक 03–01–2025 स्थान–तेल डिपो रेलवे फाटक के पास मेरठ कैन्ट थाना सदर बाजार जनपद मेरठ समय 23.30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उपरोक्त के क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ को आर्मी इन्टेलीजेंस मध्य कमान मेरठ एवं मुखबिर इके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि राहुल कुमार निवासी जनपद

बागपत द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भर्ती कराने के नाम पर अनुचित लाभ कमाने के उददेश्य से धोखाधडी करके मोटी रकम वसूला जाता है। जो किसी से मिलने के लिए वैगनार गाडी नं0–यूपी–17–वाई–4164 से आर्मी अस्पताल से पहले तेल डिपो के पास आने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 जयवीर सिंह, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 रोमिश, हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 विनय कुमार एंव हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह की टीम द्वारा उक्त स्थान से राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि वह अपने साथी राजू पटेल नि0 बिहार व सुमित पुत्र सोहनलाल नि0 हेवा तथा सोमबीर पुत्र मदलाल नि0 हरियाणा के माध्यम से भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों को प्रभाव में लेकर उनसे मोटी रकम वसूलता है। जिसकी एवज में प्रति व्यक्ति 50,000/– रूपये इस मिलता है। वर्ष–2018 में रेलवे ग्रूप–डी की परीक्षा में नकल कराने के मामले में अपने साथी सोमबीर आदि के साथ नोएडा से जेल गया था। जेल से बाहर आने के कुछ दिन बाद सोमबीर निवासी हरियाणा ने इसे आर्मी में भर्ती कराने के लिए लड़के उपलब्ध कराने को कहा था और राजू पटेल नि0 बिहार से उसकी बात कराया था। राजू पटेल इससे 50–60 हजार प्रति व्यक्ति देने को कहा था। इस पर यह अपने साथियों के साथ मिलकर राजू पटेल से कुछ लोगों का सम्पर्क कराया था। इसके पास से बरामद एडमिट कार्ड व चयनित सूची के सम्बन्ध में बताया कि एडमिट कार्ड व चयनित सूची फर्जी है। जो राजू पटेल ने सोमबीर को दिया था तथा सोमबीर से सुमित के माध्यम से इसे मिला था। सुमित ने एक–एक सेट उसे देकर कहा था कि चयनित लोगों को बुलाकर उन्हे दे देना। इसी क्रम में यहॉ आया हुआ था, जो गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना सदर बाजार, जनपद मेरठ में मु0अ0सं0 02/2025 धारा 318(2), 318(4),336, 338, 340, 61(2)(क) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

अभियुक्त राहुल कुमार का अपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	39/2023	420,467,468,471,120बी भादवि	कंकरखेडा	मेरठ
2	52/2018	420/467/468/471 भादवि व 66 आईटी एक्ट	साईबर क्राइम	नोएडा
3	02/2025	318(2), 318(4),336, 338, 340, 61(2)(क) बीएनएस	सदर बाजार	मेरठ

———————